

सेवा केन्द्र में प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध
(राजस्व कर्मचारी सरकार समिति द्वारा संचालित)

एफ-65
जिला परिषद

बालिका समृद्धि योजना

जिला :/पंचायत समिति/

ग्राम पंचायत

(बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे दिनांक 15.8.97 को या बाद में जन्मी शिशु बालिका के माता को प्रसव उपरांत अनुदान राशि रूपये 500/- प्राप्त करने हेतु)

प्रार्थना पत्र

1. शिशु –बालिका की माता का नाम श्रीमती
2. शिशु– बालिका के पिता का नाम एवं पता श्री
ढाणी /बस्ती
ग्राम
ग्राम पंचायत
3. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची की क्रम (बी.पी.एल.)संख्या
4. बालिका की जन्म दिनांक
(जन्म पंजिका /प्रमाण पत्र के आधार पर)
5. क्या बालिका माता की पहली /दूसरी पुत्री है पहली/दूसरी
6. क्या शिशु– बालिका को आवश्यक टीके लगाये जा चुके हैं हों / नहीं

दिनांक

(माता के हस्ताक्षर/ अंगुठा निशानी)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है ।

हस्ताक्षर वार्ड पंच
नाम

(पिता/ अभिभावक के हस्ताक्षर)
नाम

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विवरण की पुष्टि करली गई है ।

प्रति हस्ताक्षर
संरपच ग्राम पंचायत
नाम

हस्ताक्षर ग्राम सेवक
नाम

सेवा केन्द्र

बालिका समृद्धि योजना :

पात्रता :

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार चयनित परिवारों में दिनांक 15 अगस्त 1997 को या इसके बाद पैदा होने वाली दो बालिकायें चाहे इस परिवार में जन्में बच्चों की संख्या कितनी ही हो।

देय लाभ : 500/- रूपये

- 1- बालिका के नाम बैंक/पोस्टऑफिस में खाता खुलवाकर उसमें जमा करवायी जाती है।
- 2- बालिका के विद्यालय जाने पर कक्षा 1 से 10 तक प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 300 से 1000 तक छात्रवृत्ति खाते में जमा होती है नकद भुगतान नहीं किया जाता।

आवेदन : ग्राम पंचायत /नगर पालिका